एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7240/2006
यासिर मिर्जा बनाम यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान व अन्य

11.4.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री महेश गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्रीमती अनुपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता विपक्षी की ओर से।

याची ने इस रिट याचिका में विपक्षी राजस्थान विश्वविघालय के विरुद्व उसे सानुग्रह अंक दिये जाने हेतु समादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की थी। राजस्थान विश्वविघालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती अनुपमा चतुर्वेदी का कथन है कि राजस्थान विश्वविघालय ने स्वयं ही याची को सानुग्रह अंक प्रदान कर दिये हैं और इस आधार पर उसे बी.एच.एम.एस. प्रथम वर्ष 2005 की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उसके बी.एच.एम.एस. द्वितीय वर्ष का परीक्षा फार्म, जिसकी अंतिम तारीख 12.4.2007 है, को स्वीकार करने का निर्देश विपक्षी राजस्थान विश्वविघालय को दिया जावे।

याची के विद्वान अधिवक्ता के कथन के परिपेक्ष्य में विपक्षी राजस्थान विश्वविघालय को निर्देश दिया जाता है कि वे याची का बी.एच.एम.एस. द्वितीय वर्ष का परीक्षा फार्म स्वीकार करें और उसे परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दे। यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7490/2006
मूलचन्द बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

11.4.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री आर.के.माथुर, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को नयी रिट याचिका पेश करने की अनुमति के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याची नये वाद कारण के आधार पर पुन: रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7393/2006
मनीष कुमार व्यास बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

11.4.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री आर.के.माथुर, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को नयी रिट याचिका पेश करने की अनुमति के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याची नये वाद कारण के आधार पर पुन: रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7384/2006
रामजस व्यास बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

11.4.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री आर.के.माथुर, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को नयी रिट याचिका पेश करने की अनुमति के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। याची नये वाद कारण के आधार पर पुन: रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति